(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 1690–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.4.14 पारित द्वारा तहसीलदार, ईसागढ़ जिला अशोकनगर प्रकरण कमांक 2/अ–12/13–14.

———

श्रीमती सरोजबाई पत्नी स्व. प्रकाशचन्द्र जैन
निवासी विदिशा जिला विदिाा कृषक ग्राम कदवाया
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– गिरसान बाई पत्नी रामवीर यादव
निवासी ग्राम बुढ़िया तह. ईसागढ़
जिला अशोकनगर

2– सुरेश बाई पत्नी शिशुपाल यादव
निवासी ग्राम धनवारा तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर ——— अनावेदकगण

———

श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री एस.के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदकगण. अनावेदक.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/3/15 को पारित)

.....

यह निगरानी तहसीलदार, ईसागढ़ जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 23–4–14 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम कदवाया स्थित भूमि सर्वे नंबर 472/2 रकयबा 0.056 हैक्टर का सीमांकन कर सीमाओं का ज्ञान कराया जाये । इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने राजस्व

निरीक्षक को सीमांकन हेतु सूचनापत्र जारी किया । उक्त आदेश के परिपालन में राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया । राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन की पुष्टि तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि राजस्व निरीक्षक ने मौके पर जाकर कोई सीमांकन नहीं किया और जा प्रतिवेदन बनाया है वह एक जगह बैठकर बनाया है । पड़ोसी काश्तकारों को कोई सूचना नहीं दी गई है । मौके पर दिनांक 31.3.14 को सीमांकन किए जाने की सूचना दिनांक 30.3.14 को निकाले गये थे जबकि दिनांक 31.3.14 को राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी मौके पर नहीं गये ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदकों ने कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष सर्वे नं. 472/2 के संबंध में संहिता की धारा 107 के तत नक्शा संशोधन का प्रकरण पेश किया था जो वर्तमान में प्रचलित है इस तथ्य को छिपाकर अनावेदकों ने सीमांकन कराया है जबकि जब तक नक्शा त्रुटिपूर्ण है तब तक सीमांकन नहीं किया जा सकता था । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राजस्व निरीक्षक ने विधिवत प्रकिया का पालन कर सीमांकन किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में तहसीलदार ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । अंत में उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिकों पर सीमांकन से पूर्व सीमांकन की सूचना की कोई विधिवत तामीली नहीं की गई । सीमांकन उसकी अनुपस्थिति में हुआ है । राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 11.4.14 में स्पष्ट लिखा है कि सर्वे नं. 472 का कुल रकबा 0.115 हैक्टर है जबकि नक्शा में रकबा बरारी करने पर 0.075 हैक्टर आता है तब सर्वे नं. 472 के भाग 472/2 का सीमांकन किस आधार पर किस नक्शे पर किया गया ? अन्य कृषकों के हितों का क्या हुआ ? तहसीलदार ने इन सब बिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है । स्पष्ट है

कि सीमांकन की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर नहीं रखी जा सकती । अतः निरस्त की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर